न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 201/2024 तारीख रजू:– 30.10.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

हुकम पुत्र दीपचन्द, जाति कुम्हार (प्रजापत), निवासी सीतापुर तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———————————— सायल

बनाम

1.	संतरूप पुत्र बुद्धि	जाति सभी जाट, निवासी पाली, तहसील सूरौठ, जिला करौली (राज०)
2.	हेतराम पुत्र रामकिशोर	
3.	लक्ष्मण पुत्र रामकिशोर	
4.	हिन्दकेसरी पुत्र कारे	
5.	विपिन पुत्र कारे	
6.	विजेन्द्र पुत्र कारे	
7.	नटराज पुत्र कारे	

8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील–सूरौठ, जिला–करौली——— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट सायल

2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल नं. 1 ता 3

निर्णय

दिनांक :– 13/1/2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सायल के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 292/2 रकवा 0.40 है० वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सीतापुर, तहसील सूरौठ में स्थित है। उक्त आराजी का सायल रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि सायल के कब्जाकाश्त व खातेदारी की उक्त भूमि गांव सीतापुर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर राजस्व गांव पाली के लगवां है. जिस पर अवैध रूप से गैरसायन नम्बर 01 ता 07 ने अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर रखा है क्योंकि सायल वृद्ध है, जिसकी दो लड़कियां है, जिनकी शादी कर दी गई है जो अपनी ससुराल में रह रही हैं। सायल के कोई पुत्र नहीं है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर गैरसायल नम्बर 01 ता 07 ने सायल के खातेदारी के उक्त खेत पर कब्जा कर फसल काश्त कर दी है. जिसकी शिकायत सायल द्वारा तहसीलदार सूरौठ को की गई, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सायल सीधा–सादा वृद्ध व्यक्ति है, जिसके पुत्र नहीं है, केवल अकेला है, जाति से कुम्हार (प्रजापत) है, जिनकी आबादी गांव में बहुत कम है, जबकि गैरसायल नम्बर 01 ता 07 जाति से जाट हैं और बहुसंख्यक हैं। गैरसायल नम्बर 01 ता 07 भू–माफिया हैं व झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनका एक नाजायज गिरोह बना हुआ है और वे आए दिन गरीब व असहाय लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर आमादा रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 20.10.2024 समय करीब सुबह 9 बजे का है कि सायल अपनी आराजी की देखरेख करने के लिए अपने खेत पर पहुंचा तो वहां पर गैरसायल नम्बर 01 ता 07, सायल की उक्त आराजीयात के कुछ हिस्सा पर काबिज पाए। सायल द्वारा गैरसायलान से अवैध कब्जा नहीं करने के बारे में कहा तो गैरसायलान, सायल पर नाराज हो गये और सायल के साथ झगड़ा करने पर आमादा हो गये। हाय–हल्ला सुनकर पडौसी खेतों पर काम कर रहे अन्य लोग आ गए, जिन्होंने व अजखुद सायल ने गैरसायल नम्बर 01 ता 07 को काफी समझाया कि भाईयो यह भूमि तो सायल के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि है, जिसका सायल ही

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

एकमात्र खातेदार काश्तकार है, परन्तु गैरसायलान ने किसी एक की भी नहीं मानी, बल्कि ऐलानिया तौर पर धमकी दीनी कि यहां से भाग जा, इस भूमि पर हम काबिज हैं और तेरे द्वारा बोई हुई फसल को हम ही काटेंगे, तू इस खेत की तरफ बिल्कुल मत आना, अगर आया तो तेरे हाथ–पैरों को काटकर तुझे जान से खत्म कर तेरी लीला समाप्त कर देंगे। तूने पूर्व में भी हमारे विरुद्ध मुकदमा किया, जिसको हमने राजनीतिक व धन बल से खारिज करवा दिया, अब हम तेरे खातेदारी के खेत पर काबिज होकर पक्का निर्माण करेंगे और हम ही फसल करेंगे। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम जाति से जाट हैं और यहां पर हमारा ही बांसकोर्ट चलता है, हम किसी भी न्यायालय के कैसे भी आदेश को नहीं मानते हैं। तुझसे बने सो कर लेना। अगर गैरसायलान अपने उक्त नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार दृव्य से संभव नहीं होगी और सायल भूमिहीन हो जावेंगे और उसके परिवार के भूखों मरने की नौबत पैदा हो जावेगी, इस कारण सायल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दायर करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रथम दृष्ट्या केस, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु तथा सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैंसला दावा गैरसायल नम्बर 01 ता 07 को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 292/2 रकवा 0.40 है० वाके ग्राम सीतापुर, तहसील सूरौठ पर सायल के कब्जेकाश्त व खोतदारी पर अवैध रूप से कब्जा नहीं करें और ना ही अवैध कब्जा कर कोई पक्का निर्माण करें, सायल को अपनी उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा सायल के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा उक्त आरजी से सायल को जबरन बेदखल नहीं करें और दीगर लठैत व्यक्तियों को उक्त आराजी का रहनवय नहीं करें और ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें और ना ही किसी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अन्य से करावें, जिससे सायल के हकहकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.06.2025 को गैरसायल सं01 ता 3 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 04.09.2025 को गैरसायल सं0 4 ता 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

गैरसायल सं01 ता 3 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र उनके अधिवक्ता ने पेश किया, जिस पर गैरसायल सं01 ता 3 के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण जबाव विचारणीय नहीं है तथा गैरसायल सं0 4 ता 7 के विरूद्ध दिनांक 04.09.2025 को एकतरफा कार्यवाही होने के उपरान्त दिनांक 16.12.2025 को जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है किन्तु जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व गैरसायल सं04 ता 7 के द्वारा एकतरफा कार्यवाही मंसूख नहीं कराई है। इसलिए गैरसायल सं0 4 ता 7 के द्वारा पेश किया गया जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी विचारणीय नहीं है।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, फोटो प्रति नकल नक्शा नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, फोटो प्रति भू–अभिलेख निरीक्षक वृत विजयपुरा एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया फर्द मौका दिनांक 29.05.2024, पेश किये है।

इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 ता 3 ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायला ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत गैरसायल सं01 ता 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अवगत कराया कि विवादित आराजी पर गैरसायल सं01 ता 3 का कब्जा काश्त है, जिससे सायल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 176 रकबा 1.25 है0, 292/2 रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ की खातेदारी हुकम पुत्र दीपचन्द हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम खातेदार खसरा नम्बर 176 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति भू–अभिलेख निरीक्षक वृत विजयपुरा एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया फर्द मौका दिनांक 29.05.2024 में अंकित किया है कि आज दिनांक 29.05.2024 को श्रीमान् तहसीलदार सूरौठ के आदेश क्रमांक एलआर /2024/618 दिनांक 13.05.2024 की पालना में ग्राम सीतापुर पहुँचा। ग्राम सीतापुर के खसरा नम्बर 292/2 रकबा 0.40 है0 का सीमाज्ञान हेतु मौके पर उपस्थित व्यक्तियों व आवेदक के सामने मुस्तकिल बिन्दूओं से फीता चलाकर खसरा नम्बर 292/2 का सीमाज्ञान किया गया। फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों को पढकर सुनाया व उनके हस्ताक्षर अंगूठा निशानी ली गयी। उक्त फर्द मौका पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत विजयपुरा एवं हुकम, लेखराजसिंह, देशराज के हस्ताक्षर हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 176 रकबा 1.25 है0, 292/2 रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ का सायल रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। सायल उक्त विवादित आराजीयात का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण उक्त विवादित आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी साबित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हैं। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायल के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायल के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 292/2 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 13/1/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली